



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052024-254155
CG-DL-E-10052024-254155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2024/वैशाख 20, 1946

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2024/VAISAKHA 20, 1946

संचार मंत्रालय

(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2024

सा.का.नि 271(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयान्त्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न शक्ति और अति निम्न शक्ति शोर्ट रेंज रेडियो आवृत्ति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निम्न शक्ति और अति निम्न शक्ति शोर्ट रेंज रेडियो आवृत्ति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निम्न शक्ति और अति निम्न शक्ति शोर्ट रेंज रेडियो आवृत्ति युक्तियों का उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2018 के नियम 3 में,

(i) सारणी-8 का लोप किया जाएगा;

(ii) सारणी-IX में, क्रम सं 14 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर "24.00-24.25 गीगाहर्ट्ज" प्रविष्टि रखी जाएगी।

3. इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले इसमें विशिष्ट मॉडलों के लिए जारी किए गए उपस्कर टाइप अनुमोदन (ईटीए) ऐसे मॉडलों के जीवन काल तक विधिमान्य रहेगा।

[फा. सं. आर-11017/03/2022-पीपी]

अमित कुमार सिंह, सहायक बेतार सलाहकार

टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 1047 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2024

G.S.R. 271(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018, in rule 3,

(i) Table-VIII shall be omitted;

(ii) in Table-IX, against Sl.No.14, for the entry under column(2), the entry “24.00-24.25 GHz” shall be substituted.

3. The Equipment Type Approvals (ETAs) issued for specific models in it prior to publication of this Notification shall continue to be valid till the life time of such models.

[No. R-11017/03/2022-PP]

AMIT KUMAR SINGH, Assistant Wireless Adviser

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number GSR. 1047 (E), dated the 18th October, 2018.